न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्याः 79 / 2024(जी.सी.एम.एस. 2024 / 142)

वादी	बनाम प्रतिवादीगण
1. श्री गोविन्द सिंह खालसा शिक्षण संस्थान, श्रीकरणपुर जरिए अध्यक्ष व सदस्य, श्री गुरू गोविन्द सिंह खालसा शिक्षण संस्थान,श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर। (क) अध्यक्ष-रणजीत सिंह पुत्र पाला सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। (ख) सदस्य-जसविन्द्र सिंह पुत्र मलकीत सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर।	1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर। 2. गुरचेत सिंह पुत्र गुरबचन सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। 3. गुरजन्ट सिंह पुत्र विचित्र सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। 4. गुरविन्द्र सिंह पुत्र गुरजन्ट सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। 5. जितेन्द्रपाल कौर पुत्री गुरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। 6. जीत सिंह पुत्र काला सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। 7. बलजिन्द्र सिंह पुत्र गुरदीप सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। 8. मनप्रीत कौर पुत्री गुरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। 9. सुखजिन्द्र कौर पत्नी गुरतेज सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। 10. हरजिन्द्र सिंह पुत्र गुरतेज सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर।

(मुहर: अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर) सत्यमेव जयते)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू 20.05.2024

उपस्थितः1. श्री इन्द्राज सेजू अधिवक्ता वादी

—निर्णय— **दिनांकः 05.02.2025**

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि चक 45 एफ, पटवार हल्का 46 एफ, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर, की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 38/34 के मुरब्बा नम्बर 35 की कुल 6.325 हैक्टेयर भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिसमें संस्थान के नाम 0.791 हैक्टेयर भूमि दर्ज है। राजस्व अभिलेख में वादी संस्थान अन्य खातेदारान के साथ संयुक्त दर्ज है। वादी संस्थान का कब्जा काश्त चक 45 एफ के मुरब्बा नम्बर 35 के किला नम्बर 6 की 0.032 हैक्टेयर दक्षिण दिशा, किला नम्बर 15, 16, 25 सालम-सालम कुल 0.791 हैक्टेयर भूमि पर है। वादी का उक्त रकबा संयुक्त खाता में अंकित होने के कारण वादी को हर समय भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से अनुदान राशि, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने अन्य विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। इस कारण वादी खाता विभाजन हेतु वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहे है। वादी संस्थान ने आज से 5 रोज पूर्व प्रतिवादीगण को उक्त आराजी का हिस्सानुसार किलावाईज विभाजन करने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण ने साफ इन्कार कर दिया। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर चक 45 एफ, पटवार हल्का 46 एफ, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर, की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 38/34 के मुरब्बा नम्बर 35 की कुल 6.325 हैक्टेयर भूमि में से मुरब्बा नम्बर 35 के किला नम्बर 6 की 0.032 हैक्टेयर दक्षिण दिशा, किला नम्बर 15, 16, 25 सालम-सालम कुल 0.791 हैक्टेयर भूमि का खाता व लगान अलग से कायम किए जाने के आदेश दिए जावे।
2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। जवाब स्टेट पेश नहीं होने पर बन्द किया गया। प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश है। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गए। वादी अधिवक्ता के द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार श्रीकरणपुर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर वाद पत्र डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

3. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथपत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादी राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार है। लिहाजा वादीगण अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स राजस्व रिकॉर्ड दर्ज भूमि अनुसार तकासमा चाहते है। लिहाजा वादी के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवारा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की गई कि चक 45 एफ, पटवार हल्का 46 एफ, भू. अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर, की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 38/34 के मुरब्बा नम्बर 35 की कुल 6.325 हैक्टेयर भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिसका माफिक राजस्व रिकॉर्ड, हिस्से माफिक भूमि का वादी संस्थान (0.791 हैक्टेयर के मध्य बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे। **शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहें।** तहसीलदार श्रीकरणपुर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अधिकृत किया गया तहसीलदार श्रीकरणपुर ने प्राथमिक डिक्री की पालना में बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सामिल मिसल की गई।

4. बहस वादीगण अधिवक्ता सुनी गई, बहस के दौरान वादी अधिवक्ता ने माफिक बंटवारा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी का वादपत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किये जाने की ईश्तदुआ की है। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण, तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का वाद पत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेशः-

5. अतः अंतिम डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है। कि चक 45 एफ, पटवार हल्का 46 एफ, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर, की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 38/34 के मुरब्बा नम्बर 35 की कुल 6.325 हैक्टेयर भूमि में से वादी के हिस्सा की भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र. स.	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान रुपए में
1	श्री गोविन्द सिंह खालसा शिक्षण संस्थान, श्रीकरणपुर जरिए अध्यक्ष व सदस्य, श्री गुरू गोविन्द सिंह खालसा शिक्षण संस्थान,श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर। (क) अध्यक्ष-रणजीत सिंह पुत्र पाला सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। (ख) सदस्य-जसविन्द्र सिंह पुत्र मलकीत सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। (0.791 हैक्टेयर)	45 एफ	35	6 15 16 25	0.032 हैक्टेयर 0.253 हैक्टेयर 0.253 हैक्टेयर 0.253 हैक्टेयर	बारानी बारानी बारानी बारानी	0.12 0.95 0.95 0.95

शेष खाते एंव रहन बदस्तूर रहेगें। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 05.02.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

श्री गोविन्द सिंह खालसा संस्थान बनाम राजस्थान सरकार आदि
धारा अन्तर्गत **53 आरटीए** मुकदमा नम्बर **79/2024**
निर्णय दिनांक :-05.02.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री इन्द्राज सेजू, श्री मनीष जागिंड के** पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि चक 45 एफ, पटवार हल्का 46 एफ, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर, की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 38/34 के मुरब्बा नम्बर 35 की कुल 6.325 हैक्टेयर भूमि में से वादी के हिस्सा की भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र.स.	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान रुपए में
1	श्री गोविन्द सिंह खालसा शिक्षण संस्थान, श्रीकरणपुर जरिए अध्यक्ष व सदस्य, श्री गुरू गोविन्द सिंह खालसा शिक्षण संस्थान,श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर। (क) अध्यक्ष-रणजीत सिंह पुत्र पाला सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। (ख) सदस्य-जसविन्द्र सिंह पुत्र मलकीत सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। (0.791 हैक्टेयर)	45 एफ	35	6 15 16 25	0.032 हैक्टेयर 0.253 हैक्टेयर 0.253 हैक्टेयर 0.253 हैक्टेयर	बारानी बारानी बारानी बारानी	0.12 0.95 0.95 0.95

शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे।

आज दिनांक 10.02.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	100	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	104	**00**	**योग**	**00**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर
दिनांक: 10.02.2025

क्रमांक: रीडर/ 2025/ १२

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर